भा.कृ.अनु.प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान- क्षेत्रीय केंद्र, करनाल
ICAR-IARI- REGIONAL STATION-KARNAL

F.No.ICAR-IARI/RSK/17-2/2025-26/ **दिनांक 16.05.2025**

अल्पकालीन नीलामी सूचना

अध्यक्ष, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तरफ से **फलदार पौधे** की नीलामी आंमत्रित करते हैं। नीलामी हेतु विवरण निम्न प्रकार है।

प्रक्षेत्र	कार्य	पौधों की संख्या
भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल	**फलदार पौधे**	आम - 485 नाशपाती - 15 कटहल - 12

बोलीकर्ता अपना आधार कार्ड की प्रति साथ में लायें

बिक्री की शर्तें

- "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सामान की बिक्री का प्रस्ताव है। संस्थान में आकर हरएक **फलदार पौधे** का निरीक्षण के उपरांत बोली लगायें । **पौधे** देखने का समय कार्यदिवस के कार्यालय समय में सवेरे 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा ।
- बोली **23.05.2025** को सांय **03:30** बजे शुरू की जाएगी।
- बोलीकर्ता अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल द्वारा गठित समिति के समक्ष **फलदार पौधों** की स्थिति स्वयं देखकर व मार्केट मूल्य को ध्यान में रखकर ही बोली लगायें।
- यदि उच्चतम खुली बोली को मौके पर ही स्वीकार कर लिया जाता है, तो उच्चतम बोलीकर्ता/ठेकेदार को उच्चतम बोली की 30% राशि मौके पर ही, आधार कार्ड की एक प्रति के साथ जमा करानी होगी तथा शेष 70% राशि का भुगतान ठेकेदार को बोली की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना होगा । ऐसा न करने पर पूरी राशि पर प्रतिदिन 0.5% जुर्माना लगाया जाएगा ।
- फलदार पोधों को बेचते समय यह मान लिया गया है कि बोली बोले जाने से पहले सभी पोधों का निरीक्षण कार्यालय करनाल मे आकर कर लिया गया है। खरीददार को सूचित किया जाता है कि खरीदने की पूरी जिम्मेदारी और जोखिम उसका स्वयं का होगा । किसी अन्य जानकारी/इश्तेहार पर भरोसा ना किया जाये और इस विषय मे किसी शिकायत पर भविष्य में विचार नही किया जाएगा।
- उच्चतम बोली स्वीकार या रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष भा.कृ.अनु.प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान- क्षेत्रीय केंद्र, करनाल का होगा ।
- **मध्यस्तता** - किसी प्रकार के बोली से सबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतू भा.कृ.अनु.सं. क्षेत्रीय केंद्र, करनाल को प्रेषित किया जा सकता है । भा.कृ.अनु.प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान- क्षेत्रीय केंद्र, करनाल का निर्णय किसी भी पक्ष के लिया अंतिम रूप से मान्य होगा ।
- **सुरक्षा व्यवस्था:-** सफल बोलीकर्ता को एकरारनामा के तुरंत बाद पेड़ों सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । चोरी, फलों की बर्बादी, इत्यादि प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा ।
- **बाग में सभी पेड़ो का रख्ररखाव एवं नीचे की सफाई लटकी हुई टहनियों की छटाई का कार्य बोलीकर्ता का होगा ।**

- **किसी भी प्रकार की मशीनरी व् पानी का उपयोग बोली कर्ता को स्टेशन निर्धारित मानदेय पर उपलब्ध करायेगे ।**
- **किसी भी प्रकार की सामग्री (पेड़ से तोड़े गये फल) का बिक्री एवं वितरण संस्थान के अन्दर करना मना रहेगा ।**
- **पेड़ो पर किसी भी प्रकार की दवा छिडकने से पहले हर बार प्रभारी वैज्ञानिक से लिखित में अनुमति लेनी होगी ।**
- **प्रभारी वैज्ञानिक किसी भी** पौधे से कभी भी कलम ले सकेंगे व् अनुसंधान संबंधी कार्य बोलीकर्ता का कोई हस्तक्षेप नही होगा ।
- **बोली की राशि (01 जून 2025 से 31 अगस्त 2025) तक के लिए है ।**
- **बाग में बोली कर्ता व् केवल उसके परिवार के सदस्य / कर्मचारी (अधिकतम पांच सदस्य) ही आ जा सकेगे तथा उन सभी के पहचान पत्र स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी से जारी करवाना अनिवाये होगा ।**
- इस केंद्र द्वारा कार्य गुढ़ाई, सिंचाई एवम जुताई आदि तथा कोई भी निर्माण किये जाने व अन्य कार्यो कराये जाने पर ठेकेदार का कोई हस्तक्षेप/आपति का अधिकार नही होगा ।
- फलों का तुड़ाई कार्य पोधों को क्षति पहुंचाए बिना करना होगा ।
- अगर पेड़ से गिर कर किसी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है । तो इसकी जिम्मेदारी बोलीकर्ता की होगी ।
- ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- फलों के तुड़ाई के समय मे किसी भी प्रकार से आग फलों के पेड़ो के शाखाओ एवम टहनियों की क्षति नही होनी चाहिए । ऐसा पाए जाने पर ठेकेदार के सुरक्षा राशि मे अंशत: या पूर्णत: जब्त कर लिया जाएगा ।
- किसी भी प्रकार के लोकल टेक्स का वहन निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा ।
- यदि कोई और शर्त हुई तो वह नीलामी के समय घोषित कर दी जाएगी ।

शिवकुमार यादव
अध्यक्ष 16/5/2025
16/5